प्र.सं. 4/22 खेताराम व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुरों का गुड़ा, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 468 रकबा 0.3000 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 293 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है। उक्त आराजी नंबर 468 के पूर्वी दिशा में हाल आराजी नंबर 514 स्थित होकर प्रतिवादीगण के बाप–दादाओं के समय से मकान बने हुए हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के मकान की पश्चिम दिशा में कोई जमीन नहीं छोड़ी हुई है तथा वादीगण की कृषि भूमि की सीमा से लगी हुई। प्रतिवादीगण ने भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों से मिलकर वादीगण के हक हिस्से व आधिपत्य को हड़पने की गरज से आराजी नंबर 468 व 514 के बीच में आराजी नंबर 1167/468 रकबा 0.0600 हैक्टर नया खसरा कायम करते हुए प्रतिवादीगण ने अपने खाते दर्ज करा ली है, जबकि इस आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण के उक्त कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः आराजी नंबर 1167/468 रकबा 0.0600 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 1167/468 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है, जिसके साबिक आराजी नंबर 294/1 रकबा 16 बिस्वा थे, जिसके नये आराजी नंबर उक्त आराजी के अतिरिक्त 513 व 514 बनाये गये। वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 4 तनकियां कायम की एवं तनकीवार: विवेचन करते हुए दिनांक 15.11.2021 को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:08:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि आराजी नंबर 468/1167 रकबा 0.0600 हैक्टर आराजी नंबर 468 का भाग है, जो अपीलान्टगण के खातेदारी का होकर निरन्तर उनका कब्जा चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण का उनके कब्जे की भूमि पर मकान बना हुआ है तथा अब उक्त मकान के पीछे की तरफ अपने मकान की दीवार तोड़कर अपीलान्टगण के कब्जे की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्टगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 में आराजी नंबर 468 रकबा 0.3000 हैक्टर अपीलान्ट/वादीगण के खातेदारी में दर्ज है, जबकि प्रदर्श 2 अनुसार आराजी नंबर 1167/468 रकबा 0.0600 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी नंबर 468 के साबिक आराजी नंबर 293 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा थे। अपीलान्टगण का कथन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:08:50 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 1167/468 आराजी नंबर 468 का भाग बताते हुए तथा इस भूमि पर अपना कब्जा बाप–दादाओं के समय का बताते हुए इसकी खातेदारी चाही है। अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि तनकीवार निर्णय पारित किया है, किन्तु तनकियों का विवेचन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करते हुए आराजी नंबर 1167/468 साबिक आराजी नंबर 294/1 से बनना मानते हुए उक्त आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया है, जबकि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि साबिक आराजी नंबर 293 कर रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा था, जिसका नई जरीब अनुसार हाल रकबा 0.3240 हैक्टर बनता है, जबकि आराजी नंबर 293 से जो हाल आराजी नंबर 468 बना है, उसका रकबा 0.3000 हैक्टर ही बना है, जो साबिक के मुकाबले 0.0240 हैक्टर कम है, जिसका परीक्षण किया जाना आवश्यक था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 198/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/वादीगण के कमी रकबे का साबिक व हाल रकबे अनुसार साक्ष्य सबूतों के आधार पर परीक्षण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:08:50 IST
Reason: SelfAttested